रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072024-255657
CG-DL-E-23072024-255657

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2735] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946
No. 2735] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2024

का.आ. 2872(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक दायित्व बीमा नियम, 1991 में संशोधन लाने के लिए जारी करने का प्रस्ताव करती है, जनता तथा अन्य हितधारकों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है तथा इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त अधिसूचना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से साठ दिन की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा।

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली - 110003 को डाक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल पते: mishra.vp@gov.in या vinodsingh.77@gov.in पर लिखित रूप से ऐसा कर सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

केन्द्र सरकार लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991, जिसे जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधित किया गया है, की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक दायित्व बीमा नियम, 1991 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(1) इन नियमों को सार्वजनिक दायित्व बीमा (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लोक दायित्व बीमा नियम, 1991 (जिसे इसमें आगे मूल नियम कहा जाएगा) के नियम 2 में, -

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे:

'(कक) "निर्णायक अधिकारी" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 15क के तहत नियुक्त/अधिसूचित किसी अधिकारी से है;

(कख) "आकलन रिपोर्ट" से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लोक दायित्व बीमा नियम, 1991 के नियम 3क के अंतर्गत किसी घटना से हुई पर्यावरणीय क्षति की सीमा के अनुमान के संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट अभिप्रेत है।';

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(घक) "प्रस्तुतकर्ता अधिकारी" का तात्पर्य परिशिष्ट-I के अनुसार अधिकारियों (या) उनके अधिकृत प्रतिनिधि से है जो अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर अधिनियम के प्रावधानों के गैर-अनुपालन (या) उल्लंघन का संज्ञान लेते हैं और संबंधित निर्णायक अधिकारी के समक्ष मामले को आरंभ करते हैं और प्रस्तुत करते हैं।'।

3. मूल नियम, 1991 में, नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"3. **राहत के लिए आवेदन. -** (1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचीबद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा राहत या संपत्ति की वापसी के दावे के लिए आवेदन प्रपत्र I में कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, राहत के लिए आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था द्वारा भी दायर किया जा सकता है, जो प्रभावित सार्वजनिक संपत्ति में हित रखता हो, और जिसका उस संपत्ति से प्रत्यक्ष और पर्याप्त संबंध हो।"

4. मूल नियम में, नियम 3 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"3क. **पर्यावरणीय क्षति के लिए आवेदन.-** जहां पर्यावरण को ऐसी क्षति पहुंचाई जाती है, जिसके लिए किसी विशेष कंपनी/उद्योग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जैसा भी मामला हो, उस क्षति की पहचान, आकलन और भरपाई के लिए पर्यावरण राहत निधि से धनराशि के आवंटन हेतु केंद्रीय सरकार को प्रपत्र I क में एक आकलन रिपोर्ट और आकलन को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों के साथ आवेदन करेगा।"

5. मूल नियम में, नियम 5 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"5क. **औद्योगिक इकाई द्वारा राहत के अधिकार का प्रकाशन.-** यदि किसी औद्योगिक इकाई में खतरनाक पदार्थ के विनिर्माण, प्रसंस्करण, शोधन, पैकेजिंग, भंडारण, वाहन द्वारा परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, रूपांतरण, बिक्री के लिए प्रस्ताव, हस्तांतरण या इसी प्रकार के अन्य कारणों से कोई दुर्घटना हुई है, तो ऐसी औद्योगिक इकाई प्रभावित लोगों के बीच इन नियमों के तहत राहत के लिए दावा करने के उनके अधिकार के बारे में और अधिक जानकारी देगी।"

6. मूल नियम में, नियम 10 में, -

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2क) के उपबंधों के अध्यधीन, किसी दुर्घटना के कारण राहत के विभिन्न दावेदारों को किसी पंचाट के अंतर्गत राहत का भुगतान करने के लिए बीमाकर्ता का अधिकतम कुल दायित्व दो सौ पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा और बीमा पॉलिसी के चालू रहने के दौरान या एक वर्ष के दौरान जो भी कम हो, एक से अधिक दुर्घटनाओं की स्थिति में कुल मिलाकर पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा।"

(ii) उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(5) औद्योगिक इकाई का स्वामी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन ऐसी अन्य क्षति या हानि के लिए ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति करने या ऐसी अन्य राहत प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत खतरनाक पदार्थ के विनिर्माण, प्रसंस्करण, शोधन, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, रूपांतरण, स्थानांतरण या ऐसी अन्य प्रक्रियाओं के कारण होने वाली अन्य क्षति या हानि का अर्थ है:

(i) ऐसी किसी घटना के कारण होने वाले अन्य जख्म, बीमारी या रोग;

(ii) ऐसी किसी घटना के कारण आजीविका का नुकसान;

(iii) ऐसी किसी घटना के कारण जख्म, बीमारी या रोग से होने वाली हानि या क्षति;

(iv) अधिनियम के अंतर्गत आने वाली किसी भी ऐसी घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में निजी संपत्ति को नुकसान, जिसमें भवन, संरचनाएं और व्यक्तिगत सामान का नुकसान शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है।"

7. मूल नियमों में, नियम 11 के उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) जहां, धारा 14 या 15 या 17 के तहत कोई जुर्माना या अतिरिक्त जुर्माना, जैसा भी मामला हो, लगाया जाता है, वहां ऐसे जुर्माने की राशि धारा 7 क के तहत स्थापित पर्यावरण राहत कोष में जमा की जाएगी।"

8. मूल नियमों में, नियम 11 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"12. पर्यावरणीय क्षति के लिए निधियों का आबंटन- (1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरणीय राहत कोष स्कीम के उपबंधों के अनुसार नियम 3क के अधीन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए आवेदन पर पर्यावरण राहत कोष से निधियां आबंटित करेगी।

(2) एकल स्थल की पहचान, मूल्यांकन एवं उपचार के लिए इन नियमों के नियम 3क के अंतर्गत किए गए आवेदन के लिए आवंटित धनराशि पर्यावरण राहत कोष में उपलब्ध धनराशि के 10% से अधिक नहीं होगी।"

13. न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति - (1) क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाला जिला मजिस्ट्रेट (या) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के उद्योग विभाग का संयुक्त सचिव संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पदेन न्यायनिर्णायक अधिकारी होगा।

(2) केन्द्र सरकार (i) केन्द्रीय स्तर पर न्यायनिर्णायक अधिकारी, जो भारत सरकार के निदेशक के पद से नीचे का न हो, तथा (ii) एक या एक से अधिक न्यायनिर्णायक अधिकारी जो किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो, को या तो स्वप्रेरणा से या संबंधित राज्य सरकार के लिखित अनुरोध पर नियुक्त कर सकती है।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी को जैसा भी मामला हो, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अपेक्षित कार्मिक, कार्यालय स्थान और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

14. मामले का संज्ञान और कार्रवाई - (1) कोई भी न्यायनिर्णायक अधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या इसके तहत जारी किए गए आदेशों या निर्देशों के किसी भी गैर-अनुपालन या उल्लंघन का संज्ञान नहीं लेगा, जब तक कि ऐसा मामला, संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, या तो स्वप्रेरणा से या निर्धारित प्रपत्र III में प्रस्तुति पर प्राप्त नहीं होता है।

(2) अपने-अपने अधिकार, क्षेत्र में उल्लंघनों का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत अधिकारी, उसमें उल्लिखित अधिकार क्षेत्र के अनुसार, मामले को संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-I में दी गई है।

(3) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, नियम 14(1) के अधीन मामले को न्यायनिर्णायक अधिकारी को अग्रेषित करने से पूर्व, उचित तत्परता बरतते हुए मामले पर कार्यवाही करेगा, ताकि सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को रिकार्ड में लाया जा सके, जिन्हें जुर्माना लगाने के लिए ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, तथा यह भी पता लगाया जा सके कि क्या यह मामला न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक है।

15. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच का तरीका - (1) किसी मामले की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, न्यायनिर्णायक अधिकारी संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ-साथ उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध गैर-अनुपालन या उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, नोटिस जारी करेगा, साथ ही उसके विरुद्ध मामले के विवरण में गैर-अनुपालन या उल्लंघन की प्रकृति को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा, और ऐसा व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, निर्धारित फॉर्म IV में उस निर्धारित तिथि को, जो उस पर सेवा की तारीख से 15 दिनों से कम नहीं होगी और 30 दिनों से अधिक नहीं होगी, उपस्थित हो सकता है ।

(2) नोटिस में निर्दिष्ट तारीख को, वह व्यक्ति या उसका अधिकृत प्रतिनिधि न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

(3) उप-नियम (2) के अधीन, यदि व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि आरोपों को स्वीकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी अपने आदेश में प्रतिवादी की ऐसी स्वीकृति के साथ-साथ लगाए गए जुर्माने की मात्रा को ऐसे प्रारूप में बताएगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित है, और आदेश की एक प्रति प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ-साथ उस व्यक्ति को भी भेजेगा जिसने मामला दर्ज कराया है, यदि लागू हो तो।

(4) उप-नियम (3) के अंतर्गत न आने वाले मामलों में, न्यायनिर्णायक अधिकारी जांच के लिए कोई तारीख नियत करेगा तथा मामले के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को इसकी सूचना देगा।

(5) निर्धारित तिथि पर न्यायनिर्णायक अधिकारी व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा, जिन्हें वह जांच के लिए सुसंगत समझे।

(6) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (5) के अधीन अपेक्षित रूप से न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, इसकी उपेक्षा करता है या उपस्थित होने से इंकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच की कार्यवाही कर सकेगा।

(7) जांच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाने और उपस्थिति दर्ज कराने की शक्ति होगी, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में यथा विनिर्दिष्ट सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी:

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराना तथा शपथ दिलाकर जांच करना

(ख) दस्तावेजों या अन्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को प्रकटीकरण और प्रस्तुतिकरण के लिए मंगवाना; और

(ग) हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना

(8) संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा मामले को प्रस्तुत करने पर, व्यक्ति द्वारा दिए गए बचाव और यथा आवश्यक उस जानकारी को रिकार्ड करने पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी या तो आरोप को खारिज कर देगा या ऐसा अन्य आदेश देगा जैसा वह उचित समझे।

(9) न्यायनिर्णायक अधिकारी के सभी आदेश, वाचनात्मक आदेश होंगे, भले ही ऐसे आदेश द्वारा शास्ति अधिरोपित की गई हो या नहीं, जैसा कि प्रपत्र-V में विहित है ।

(10) न्यायनिर्णायक अधिकारी उपनियम (4) के अधीन नियत तारीख से तीन माह के भीतर प्रत्येक मामले का न्यायनिर्णयन पूरा करेगा, जिसे पर्याप्त कारण होने पर तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है।

(11) यदि नियम 14(1) के अधीन प्राप्त मामले की विषय-वस्तु मामले की प्राप्ति की तारीख को राष्ट्रीय हरित अधिकरण या सक्षम अधिकारिता वाले किसी अन्य न्यायालय के समक्ष पहले से ही विचाराधीन है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा इस नियम के अधीन कार्यवाही समानांतर रूप से आरंभ की जाएगी और नियम 18 में निर्दिष्ट अनुसार आदेश पारित किया जाएगा, जब तक कि ऐसी कार्यवाही राष्ट्रीय हरित अधिकरण या किसी अन्य न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से रोक नहीं दी गई हो।

16. मामलों और कार्यवाहियों का स्थानांतरण - (1) यदि मामला किसी ऐसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के पास लाया जाता है, जिसके पास नियम 14 के उप-नियम (3) के अनुसार उस पर विचार करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, तो वह मामले को ऐसे मामले की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र VI में ऐसा माने जाने कारणों के साथ संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को स्थानांतरित कर देगा।

(2) यदि नियम 15 के अधीन जांच करने पर, अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कार्यवाही के किसी भी चरण पर न्यायनिर्णायक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई मामला ऐसा है जिसपर, यथास्थिति, केन्द्रीय या राज्य स्तर पर किसी अन्य न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए, तो वह मामले को प्रपत्र VII में यथा निर्दिष्ट रूप में मामले की प्रति और कार्यवाहियों के अभिलेख के साथ ऐसे अधिकारी को अंतरित कर देगा ।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, जिसे ऐसा मामला अंतरित किया गया है, अपने विवेकानुसार, सम्पूर्ण मामले की प्रारम्भ से पुनः सुनवाई कर सकता है।

(4) यदि कार्यवाही के दौरान यह पाया जाता है कि किसी कार्यवाही की विषय-वस्तु पर पहले ही निर्णय हो चुका है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही को सरसरी तौर पर खारिज कर देगा।

17. नोटिस की तामील का तरीका - किसी व्यक्ति को नियम 15 के अंतर्गत नोटिस निम्नलिखित तरीके से भेजा जाएगा:-

क) उस व्यक्ति को पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान के पते पर, जहां उसने लाभ हेतु व्यवसाय या व्यक्तिगत कार्य किया था अथवा अंतिम बार किया था, पर भेजा जाएगा; या

ख) यदि उपलब्ध हो तो व्यक्ति के पंजीकृत ईमेल पर भेजा जाएगा;

ग) जहां इसे खंड (क) या जहां भी लागू हो, (ख) के तहत भेजा नहीं जा सकता है, ऐसे प्रत्येक नोटिस को उस परिसर के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य विशिष्ट भाग पर चिपका दिया जाएगा जिसमें वह व्यक्ति रहता है या जिसमें अंतिम बार निवास किया था, या व्यवसाय या व्यक्तिगत रूप से काम किया था या अंतिम बार लाभ के लिए काम किया था और इसकी लिखित रिपोर्ट के साथ नोटिस की जियो-टैग की छवियों के साथ संलग्न की जाएंगी।

18. न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश - (1) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश निर्धारित **प्रारूप-V** में न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी अपने द्वारा पारित आदेश की एक प्रति चूककर्ता व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार, संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, मामला दर्ज कराने वाले व्यक्ति तथा किसी अन्य व्यक्ति को भेजेगा, जिसे न्यायनिर्णायक अधिकारी उचित समझे।

(3) इस नियम के अंतर्गत पारित कोई भी आदेश नियम 15 के उपनियम (11) के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा।

18क. शास्ति की मात्रा का निर्धारण करते समय विचार किए जाने वाले कारक : (1) शास्ति की मात्रा का निर्णय करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारी निम्नलिखित कारकों को सम्यक रूप से ध्यान में रखेगा, अर्थात् :-

(क) ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम से समाघात या प्रभावित जनसंख्या और क्षेत्र;

(ख) ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम की आवृत्ति और अवधि या व्यतिक्रम या उल्लंघन की दोहराव प्रकृति;

(ग) ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के वर्ग की संवेदनशीलता;

(घ) उल्लंघन या व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप लिया गया असंगत लाभ या अनुचित फायदे, जहां भी मात्रात्मक हो, की राशि;

(ञ) कोई अन्य संगत कारक, जिसे वह उचित समझता हो।

(2) इस अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाए गई शास्ति/अतिरिक्त शास्ति, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 17 के साथ पठित धारा 15 के तहत राहत या मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व के अतिरिक्त होगी;

(3) उप-धारा (2) के तहत उल्लिखित मामलों के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति, ऐसी शास्ति या मुआवजे के प्रतिस्थापन में नहीं अपितु इसके अतिरिक्त होगी।

(4) इस अधिनियम के तहत शास्तियों के माध्यम से वसूली गई सभी धनराशि, पर्यावरण राहत कोष में जमा की जाएगी।

19. न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील: (1) इस अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश (आदेशों) के विरुद्ध सभी अपीलें, इस अधिनियम की धारा 15ख के अनुसार राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के तहत स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को की जाएंगी।

(2) यदि मामला दर्ज करने वाला व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित है, तो वह भी, जहां तक यह व्यवहार्य हो, इस अधिनियम की धारा 15ख के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

20. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाए गई शास्ति/अतिरिक्त शास्ति का भुगतान करने में विफलता:

क. इस अधिनियम की धारा 17 के तहत लगाई गई शास्ति का भुगतान नब्बे दिनों के भीतर करने में विफल रहने के मामले में, ऐसे व्यक्ति को कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, जो शास्ति की राशि के दोगुने तक हो सकता है, या दोनों से दंडित होगा। न्यायनिर्णायक अधिकारी, संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को उपर्युक्त नब्बे दिनों

के बीत जाने के बाद तीस दिनों के भीतर संबंधित जिला न्यायालय में व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देगा। संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी न्यायनिर्णायक अधिकारी से निर्देश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर संबंधित जिला न्यायालय में उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

ख. इस अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत अधिरोपित शास्ति का भुगतान नब्बे दिनों के भीतर करने में विफलता के मामले में, न्यायनिर्णायक अधिकारी अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित करेगा। इस अधिनियम की धारा 14 और धारा 15 के तहत अधिरोपित अतिरिक्त शास्ति का भुगतान नब्बे दिनों के भीतर करने में विफल रहने के मामले में, ऐसे व्यक्ति/कंपनी को कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, जो शास्ति की राशि के दोगुने तक हो सकता है, या दोनों से दंडित होगा। न्यायनिर्णायक अधिकारी, संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को उपर्युक्त नब्बे दिनों के बीत जाने के बाद तीस दिनों के भीतर संबंधित जिला न्यायालय में उक्त व्यक्ति/कंपनी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देगा। संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी, न्यायनिर्णायक अधिकारी से निर्देश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर संबंधित जिला न्यायालय में उक्त व्यक्ति/कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

9. मूल नियमों में, प्रपत्र I के लिए, निम्नलिखित प्रपत्र को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

प्रपत्र I

मुआवजे के लिए आवेदन का प्रपत्र

दिनांक :

श्री/सुश्री/श्रीमती* _____ पुत्र/पुत्री/विधवा*

_____ की _____ को एक दुर्घटना में मृत्यु/घायल हो गई थी। अन्य सूचना नीचे दी गई है :-

1. आवेदक की जानकारी :

i. आवेदक का नाम :

ii. पिता का नाम :

iii. पता :

iv. शहर : राज्य : ज़िप :

v. संपर्क सं. :

2. प्रभावित पक्षकार की जानकारी :

i. नाम :

ii. पिता का नाम :

iii. घायल/मृत/प्रभावित व्यक्ति का लिंग :

iv. लगी चोटों की प्रकृति :

v. घायल/मृत व्यक्ति की उपजीविका :

vi. आवेदक के साथ संबंध :

vii. पता :

viii. शहर : राज्य : ज़िप :

3. घटना का ब्यौरा :

i. घटना की तारीख :

ii. घटना का समय :

iii. घटना का अवस्थान :

iv. घटना का प्रकार : (निम्नलिखित पर निशान लगाइए)

[ ] दुर्घटना से निजी संपत्ति को नुकसान

[ ] दुर्घटना से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान

[ ] किसी भी व्यक्ति (कामगार के अलावा) की मृत्यु या क्षति

4. **आकलित वित्तीय हानि (यदि लागू हो) :**

5. **घटना और नुकसान का वर्णन :**

_____

_____

_____

6. **संलग्न संगत दस्तावेजों की सूची :**

i. मृत्यु, क्षति या नि:शक्तता के मामले में चिकित्सा प्रमाणपत्र

ii. संपत्ति के नुकसान के संबंध में किया गया दावा

iii. मजदूरी की हानि के मामले में रोजगार और प्राप्त मजदूरी का प्रमाण

iv. कोई अन्य दस्तावेज

7. **अतिरिक्त सूचना :**

i. जिस पुलिस स्टेशन के अधिकार-क्षेत्र में दुर्घटना हुई थी या पंजीकृत थी, उसका नाम और पता :

ii. घायल/मृत व्यक्ति का उपचार करने वाले चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक का नाम और पता :

iii. कोई अन्य जानकारी जिसे दावे के निपटान में आवश्यक या सहायक माना जा सकता है:

मैं एतद्द्वारा शपथ लेता हूं और पुष्टि करता हूं कि ऊपर वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

आवेदक/दावेदार के हस्ताक्षर

---

* जो भी लागू न हो उसे काट दें

10. मूल नियमों में, इस प्रकार संशोधित प्रपत्र 1 के बाद, निम्नलिखित प्रपत्र 1क अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

प्रपत्र I क

<u>पर्यावरणीय राहत कोष से निधियों के आबंटन के लिए आवेदन का प्रपत्र</u>

श्री/श्रीमती/सुश्री _____ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, [सीपीसीबी/एसपीसीबी] की ओर से, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7क के तहत स्थापित पर्यावरणीय राहत कोष (ईआरएफ) से निधियों के आवंटन के लिए एतद्द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते हैं। आवेदन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. **ब्यौरा :**

i. [सीपीसीबी/एसपीसीबी] का नाम:_____

ii. पता: _____

iii. जिस व्यक्ति से संपर्क करना है:_____

iv. संपर्क नं.:_____

v. ई-मेल का पता:_____

2. आबंटन का प्रयोजन :

_____

_____

_____

3. आकलित पर्यावरणीय प्रभाव : _____

4. अनुमानित निधि अपेक्षा :

i. कुल अनुमानित निधि अपेक्षा :_____

ii. निधि के उपयोग का विवरण :_____

_____

5. संलग्न संगत दस्तावेजों की सूची :

6. अतिरिक्त जानकारी :

1. स्वामी/स्वामियों के ब्यौरे सहित इकाई/इकाइयों का नाम:_____

2. दुर्घटना करने वाली इकाई/इकाइयों द्वारा विनिर्मित/संभाले जाने वाले रसायन का नाम

_____

3. स्थान का पता और निर्देशांक: _____

4. दुर्घटना का स्थान, दिनांक और समय: _____

5. एसपीसीबी जिसके अधिकार क्षेत्र में पर्यावरणीय क्षति हुई या पंजीकृत की गई थी:

_____

6. कोई अन्य जानकारी: _____

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

[हस्ताक्षर]

[नाम]

[पदनाम]

[संगठन का नाम]

11. मूल नियमों में, प्ररूप II के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप और परिशिष्ट-I अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

प्ररूप III: पीएलआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन न करने संबंधी शिकायत (या) उल्लंघन का प्रारूप

(नियम 14 देखें)

भाग क

पीएलआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन न करने संबंधी शिकायत (या) उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण

1. अनुपालन न करने संबंधी शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम (स्पष्ट अक्षरों में):

2. पहचान प्रमाण प्रस्तुत किया जाना:

नोट: निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज़ पहचान के वैध प्रमाण के रूप में माना जाएगा:

ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य

बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और मास्क्ड आधार कार्ड।

3. आयु

4. लिंग

5. राष्ट्रीयता

नोट: यदि अनुपालन न करने संबंधी शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, तो पहचान प्रमाण के रूप में केवल पासपोर्ट की प्रति ही स्वीकार की जाएगी।

6. स्थायी पता

मकान/संपत्ति संख्या: _____

स्थानीय गांव: _____

जिला: _____

शहर:_____

राज्य: _____

देश: _____

पिन कोड/पोस्टल या जोनल कोड: _____

7. पत्राचार पता

मकान/संपत्ति संख्या: _____

स्थानीय गांव: _____

जिला: _____

शहर:_____

राज्य: _____

देश: _____

पिन कोड/पोस्टल या जोनल कोड: _____

8. व्यवसाय/पदनाम

9. कार्यालय का पता

10. टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर:

11. ईमेल पता:

12. व्यक्ति/कंपनी/सरकारी विभाग का विवरण, जिसके विरूद अनुपालन न करने संबंधी शिकायत दर्ज की गई हो:

_____

_____

_____

13. अनुपालन न करने संबंधी शिकायत की प्रस्तुति का तरीका

___ व्यक्तिगत रूप से

___ डाक द्वारा

___ ऑनलाइन पोर्टल

14. अधिनियम, नियमों, आदेशों और निर्देशों के प्रासंगिक प्रावधान जिनके उल्लंघन का आरोप लगाया गया है:

_____

_____

15. अनुपालन न करने संबंधी शिकायत का विवरण:

_____

_____

संलग्न:

क्र .सं.	**दस्तावेज़**	**क्या संलग्न है (नहीं/हां)**
1.	पहचान प्रमाण	
2.	विधिवत नोटरीकृत शपथपत्र (दर्शाया गया है जैसा कि भाग ख में)	
3.	सहायक दस्तावेज़(यदि कोई हो)	

उस व्यक्ति/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर जिसने अनुपालन न करने संबंधी शिकायत दर्ज की हो

स्थान:

तारीख:

भाग ख

घोषणा पत्र

मैं _____ आयु _____ वर्ष, पुत्र _____ निवासी _____, शपथ द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि:

1. कि मैं अपनी ओर से अनुपालन न करने संबंधी शिकायत कर रहा हूँ

या

कि मैं निकाय/बोर्ड/निगम/प्राधिकरण/कंपनी/सोसायटी/ट्रस्ट/व्यक्तियों के संघ/गैर-सरकारी संगठन/सीमित देयता भागीदारी (इसका नाम और पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो) की ओर से यह अनुपालन न करने संबंधी शिकायत कर रहा हूँ, जिसका कार्यालय (संगठन का संपर्क पता/ईमेल/फोन/फैक्स का विवरण) में है और मैं दिनांक _____ को इसके प्राधिकरण के तहत इस अनुपालन न करने संबंधी शिकायत पर हस्ताक्षर करने और इसे बनाने के लिए अधिकृत हूँ।

2. कि मैंने वर्तमान में अनुपालन न करने संबंधी शिकायत सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 या यथासमय संशोधित इसके नियमों, आदेशों और निर्देशों के प्रावधानों के तहत दायर की है।

3. कि इस प्ररूपके भाग क में उल्लिखित अनुपालन न करने संबंधी शिकायत का विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है और मैंने सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए हैं।

4. कि मैं यह उल्लेख करता हूँ कि अनुपालन न करने संबंधी शिकायत को करने से पहले मैंने अपनी पूरी जानकारी, योग्यता और क्षमता के अनुसार जानकारी और समर्पित साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं जो _____ के खिलाफ आरोपों के समर्थन में प्रासंगिक हैं और मैं आगे पुष्टि करता हूँ कि मैंने अनुपालन न करने संबंधी शिकायत में कोई डेटा/सामग्री/जानकारी नहीं छिपाई है।

इस दिन _____को _____ पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

शपथकर्ता

प्ररूप IV: नोटिस

नियम 15 (1) देखें

भाग क

प्रतिवादी को नोटिस

सेवा में,

पत्र पाने वाले व्यक्ति का नाम:

पता:

संपर्क विवरण:

1. कृपया ध्यान दें कि आपके विरुद्ध सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के साथ पठित _____ के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी _____ द्वारा अनुपालन न करने संबंधी शिकायत दर्ज किया गया है, जिसकी एक प्रति इस नोटिस के साथ संलग्न है।

2. आपको व्यक्तिगत रूप से, या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, _____ को _____ (पता) पर निर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

3. कृपया ध्यान दें कि यदि आप उपर्युक्त दिन उपस्थित नहीं होते हैं, तो मामले की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

यह इस _____दिन _____ को मेरे हस्ताक्षर और मुहर के साथ दिया गया।

निर्णायक अधिकारी

भाग ख

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को सूचना

सेवा में

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

_____

_____

1. कृपया ध्यान दें कि आपके द्वारा दिनांक _____ के पत्र/ज्ञापन संख्या _____ द्वारा पंजीकृत और अग्रेषित अनुपालन न करने संबंधी शिकायत की सुनवाई निर्णायक अधिकारी द्वारा _____ को _____ (पता) पर की जाएगी।

2. आप (या) परिशिष्ट-I के अनुसार अधिकृत प्रतिनिधि को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन न करने संबंधी शिकायत (या) उल्लंघन का संज्ञान लेने के लिए कार्यवाही में उपस्थित होना और मामला प्रस्तुत करना आवश्यक है।

इस _____ दिन _____ को मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत दिया गया।

निर्णायक अधिकारी

प्रपत्र V: नियम 15(9) के अंतर्गत आने वाले आदेश का प्रारूप

नियम 15 (9) देखें

गैर-अनुपालन आईडी: _____

दिनांकित: _____

प्रस्तुत करने वाला अधिकारी: _____

उत्तरदाता: _____

1. जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, कि मामले में पक्षकार _____ को _____ न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए।

यदि प्रतिवादी गैर-अनुपालन को स्वीकार करता है, तो निम्नलिखित पैराग्राफ 2 को शामिल किया जाएगा:

2. नियम 15 के उप-नियम (9) के अंतर्गत, प्रतिवादी ने उसके विरुद्ध पंजीकृत गैर-अनुपालन को स्वीकार किया है, और इस प्रकार उस पर निम्नलिखित जुर्माना लगाया जाता है, _____, जिसे उसके द्वारा कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के अनुसार जमा करवाया जाएगा।

3. पक्षकारों को सुनने तथा प्रस्तुत दस्तावेजों और अन्य सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है:

_____

_____

_____

यदि लागू हो:

4. उपर्युक्त कारणों से, प्रतिवादी, _____, पर निम्नलिखित जुर्माना लगाया जाता है, जिसे उसके द्वारा कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के अनुसार जमा किया जाएगा।

5. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अनुसार जुर्माना या अतिरिक्त जुर्माना अदा करने में विफल रहने की स्थिति में, प्रतिवादी, इस अधिनियम की धारा 17ख के प्रावधानों के तहत आगे के अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

6. गैर-अनुपालन का निपटान उपर्युक्त शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

यह मेरे हस्ताक्षर और मुहर से, इस _____दिन _____ को दिया गया।

न्यायनिर्णायक अधिकारी

प्रपत्र VI

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा गैर-अनुपालन के हस्तांतरण का प्रारूप

नियम 16 (1) देखें

सेवा में,

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

(जिसे गैर-अनुपालन हस्तांतरित किया जाना है)

गैर-अनुपालन आईडी: _____

दिनांकित: _____

उत्तरदाता: _____

1. कृपया हस्ताक्षरकर्ता द्वारा _____ को प्राप्त की गई गैर-अनुपालन (संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

2. गैर-अनुपालन के अवलोकन में यह पाया गया है कि गैर-अनुपालन उपरोक्त संबोधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के विनियामक क्षेत्राधिकार में आता है।

3. अतः अनुरोध है कि इस गैर-अनुपालन को पंजीकृत किया जाए तथा आगे आवश्यक कार्रवाई की जाए।

संलग्न..

1. गैर-अनुपालन की प्रतिलिपि

2. आवश्यक दस्तावेज (जहां भी लागू हो)

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का अधिकृत प्रतिनिधि

(नाम और पता)

(हस्ताक्षरित, दिनांकित और मुहर लगी हुई)

प्रपत्र VII

न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा कार्यवाही के हस्तांतरण का प्रारूप

नियम 16 (2) देखें

सेवा में,

न्यायनिर्णायक अधिकारी (केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) (जिन्हें कार्यवाही हस्तांतरित की जानी है)

गैर-अनुपालन आईडी: _____

दिनांकित: _____

उत्तरदाता: _____

1. ऊपर बताए गए गैर-अनुपालन को _____ को हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लाया गया था, और इस पर निर्णय लिया जा रहा था।

2. कार्यवाही के दौरान यह पाया गया है कि गैर-अनुपालन का विषय आपके क्षेत्राधिकार में आता है।

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, मामले के सभी दस्तावेज और कार्यवाही के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि विधिवत हस्तांतरित की जा रही है।

4. अनुरोध है कि इस मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई की जाए।

संलग्न.

1. गैर-अनुपालन की प्रतिलिपि

2. कार्यवाही के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति

(जहां भी लागू हो)

यह मेरे हस्ताक्षर और मुहर से, इस _____दिन _____ कर दिया गया।

न्यायनिर्णायक अधिकारी

परिशिष्ट I

क्र. सं.	अधिकारी	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य-सचिव या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	सम्पूर्ण भारत
2.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य-सचिव या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	सम्पूर्ण राज्य
3.	क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाला जिला कलेक्टर या उसका अधिकृत प्रतिनिधि	सम्पूर्ण जिला

12. मूल नियमों में निम्नलिखित अनुसूची सम्मिलित की जाएगी, नामत:-

अनुसूची

[नियम 10(5) एवं (6) देखें]

i. प्रत्येक मामले में अधिकतम 1,50,000/- रुपये तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति।

ii. घातक दुर्घटनाओं के लिए प्रति व्यक्ति 5,00,000/- रुपये की सहायता दी जाएगी, इसके अतिरिक्त पीड़ित के ऊपर यदि कोई चिकित्सा व्यय हुआ हो तो उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो अधिकतम 1,50,000/- रुपये तक होगी।

iii. पूर्ण स्थायी विकलांगता या आंशिक स्थायी विकलांगता या अन्य चोट या बीमारी के लिए निम्न राहत प्रदान की जाएगी-

(क) प्रत्येक मामले में अधिकतम 25,000/- रुपये तक किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, और

(ख) अधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर नकद राहत दी जाएगी। पूर्ण स्थायी विकलांगता के लिए 5,00,000/- रुपये की राहत होगी।

iv. अस्थायी आंशिक विकलांगता, जिससे पीड़ित की कमाई करने की क्षमता कम हो जाती है, के कारण मजदूरी की हानि के लिए अधिकतम 3 महीने तक निश्चित मासिक राहत दी जाएगी जो कि 25,000/- रुपये प्रति माह से अधिक की नहीं हो:

बशर्ते कि पीड़ित 3 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहा हो तथा उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक हो।

v. सार्वजनिक/निजी संपत्ति में वास्तविक क्षति का प्रत्येक मामले के आधार पर 50,00,000/- रुपये तक।

vi. चोट, बीमारी या रोग के कारण होने वाली हानि या क्षति के लिए 25,000/- रुपये तक की राशि की प्रतिपूर्ति।

[फा. सं. एचएसएम-12/96/2020-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना एस.ओ. द्वारा प्रकाशित किए गए थे। 330 (ई) दिनांक 1 मई 1991 और बाद में अधिसूचना संख्या द्वारा संशोधित किया गया। जी.एस.आर. 596 (ई) दिनांक 20 सितम्बर 1991, अधिसूचना क्र. जी.एस.आर. 87(ई) दिनांक 6 फरवरी 1992 एवं अधिसूचना जी.एस.आर. 391(ई) दिनांक 23 अप्रैल 1993 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2024

S.O. 2872(E).—The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sections 23 of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991), for bringing out amendment to the Public Liability Insurance Rules, 1991 is hereby published for information of the public and other stakeholders likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the 'Gazette of India are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi - 110003 or electronically at email address: mishra.vp@gov.in or vinodsingh.77@gov.in.

Draft Notification

In exercise of the powers conferred by section 23 of the Public Liability Insurance Act, 1991 which has been as amended by the Jan Vishwas (Amendment of the Provisions) Act, 2023 the Central Government, hereby makes the following amendment in the Public Liability Insurance Rules, 1991, namely: -

1. Short title and commencement:

(1) These rules may be called the Public Liability Insurance (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Public Liability Insurance Rules, 1991 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, **-**

(i) after clause (a), the following clauses shall be inserted:

'(aa) "adjudicating officer", means any officer appointed/notify under section 15A of the act;

(ab) "Assessment Report", means a report prepared by Central Pollution Control Board or State Pollution Control Boards under rule 3A of the Public Liability Insurance Rules, 1991 in respect of estimates of the extent of environmental damage caused by an incident.';

(ii) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:

'(da) "Presenting Officer" means the officers (or) their authorized representative as per Appendix-I for taking cognizance of non-compliance (or) contravention of the provisions of the Act within their respective jurisdiction and for initiating and presenting the matter before the concerned Adjudicating Officer.'.

3. In the principal Rules, 1991, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely: -

"3. **Application for relief. -** (1) An application for claim of relief or restoration of property shall be made by any person as enlisted under sub-section (1) of section 6 of the Act to the Collector in Form I.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), an application for relief may also be filed by any person or entity who holds an interest in the affected public property, and who can demonstrate a direct and substantial connection with that property."

4. In the principal rules, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely: -

"3A. **Application for Environmental Damage**. - Where damage is caused to environment which may not be attributed to a particular company/industry, the Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board, as the case may be, shall make an application for allocation of funds from Environmental Relief Fund to the Central Government for identification, assessment and remediation of that damage in Form IA along with an Assessment Report and documents substantiating the assessment.".

5. In the principal rules, after rule 5, the following rule shall be inserted, namely: -

''5A. **Publication of right to relief by the Industrial unit. -** In case where any accident has occurred in any industrial unit due to manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation by vehicle, use, collection, destruction, conversion, offering for sale, transfer or the like of hazardous substance, such

industrial unit shall further publicize among the affected people regarding their right to claim for relief under these rules.''.

6. In the principal rules, in rule 10, -

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(1) Subject to the provision of sub-section (2A) of section 4 of the Act, the maximum aggregate liability of the insurer to pay relief under an award to the several claimants arising out of an accident shall not exceed two hundred and fifty crore rupees and in case of more than one accident during the currency of insurance policy or one year whichever is less shall not exceed, five hundred crore rupees in the aggregate.".

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

''(5) The owner shall be liable to reimburse such amount, or provide such other relief for such other damage or loss under sub-section (1) of section 3 of the Act as specified in the Schedule to these rules.

Explanation- For the purposes of this sub-rule, it is clarified that such other damage or loss, under sub-section (1) of section 3 of the Act due to manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation, use, collection, destruction, conversion, transfer or such other processes of hazardous substance, means:

(i) Such other injury, sickness, or disease arising due to any such incidents;

(ii) loss of livelihood due to any such incidents;

(iii) loss or damage resulting from injury, sickness, or disease due to any such incidents;

(iv) damage to private property, including but not limited to buildings, structures, and personal belongings, as a direct result of any such incident covered under the Act.".

7. In the principal rules, after sub-rule (3) of rule 11, the following sub-rule shall be inserted, namely: -

''(4) where any penalty or additional penalty, as the case may be, is imposed under section 14 or 15 or 17, the amount of such penalty shall be credited to the Environmental Relief Fund established under section 7A.''.

8. In the principal rules, after rule 11, the following rules shall be inserted, namely: -

''**12. Allocation of Funds for Environmental Damage**- (1) The Central Government shall allocate funds from Environmental Relief Fund on an application made by the Central Pollution Control Board or the State Pollution Control Board under rule 3A, in accordance with the provisions of Environmental Relief Fund Scheme.

(2) The funds allocated for an application made under rule 3A of these rules for identification, assessment & remediation of single site shall not exceed 10% of the amount available in the Environmental Relief fund.''.

13. **Appointment of Adjudicating Officer**- (1) The District Magistrate having jurisdiction over the area (or) Joint Secretary to the Industry Department of the Government of the State /Union Territory shall be ex-officio Adjudicating Officer for the respective State and Union Territories.

(2) The Central Government may appoint (i) Adjudicating Officer at the Central level not below the rank of Director to the Government of India and (ii) one or more than one Adjudicating Officer not below the rank of Joint Secretary to the State Government in a State/Union Territory, either on its own motion or on a written request by the concerned state Government.

(3) The Adjudicating Officer may be provided with requisite manpower assistance, office space and technical assistance by the Central Government / State Government / Union Territory Administration as the case may be.

14. Cognizance and Processing of Matter- (1) No Adjudicating Officer shall take cognizance of any non-compliance or contravention of the provisions of this Act, or the rules made or orders or directions issued thereunder, unless such matter is initiated by the concerned Presenting officer, along with all necessary documents, either on its own motion or on receipt of a presentation in the prescribed Form III.

(2) The Officers authorized for taking cognizance of violations within their respective jurisdiction shall present the matter before the concerned Adjudicating officer, as per the jurisdiction mentioned therein. The list of Officers is provided in the Appendix-I.

(3) The Presenting Officer shall, before forwarding the matter under Rule 14 (1) to the Adjudicating Officer, process the matter exercising reasonable due diligence, in order to bring on record all relevant facts and

circumstances that need to be taken into account for imposing penalty, and also to ascertain if it is a matter necessary for adjudication.

15. **Manner of inquiry by Adjudicating Officer.-** (1) Within 30 days of receipt of a matter, the Adjudicating Officer shall issue notice to the concerned Presenting Officer as well as to the person against whom non-compliance or contravention is alleged, along with the particulars of the matter against him clearly specifying the nature of non-compliance or contravention, and such person may either appear personally or through an authorized representative, on such date as specified, which shall not be less than 15 days from the date of service thereon and shall not exceed 30 days in the prescribed Form IV.

(2) On such date as specified in the Notice, the person or his authorised representative may admit or deny the allegations levelled against him, before the Adjudicating Officer.

(3) Under sub-rule (2), if the person or his representative admits to the allegations, the Adjudicating Officer shall state in his order such admission of the respondent, along with the quantum of penalty imposed in such format as may be prescribed by the Central Government, and send a copy of the order to the Presenting officer as well as the person who has lodged the matter, if applicable.

(4) In cases not covered under sub-rule (3), the Adjudicating Officer shall fix a date for inquiry and communicate the same to the Presenting officer, for presentation of the matter.

(5) On the date fixed, the adjudicating officer shall give an opportunity to the person to produce documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry.

(6) If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-rule (5) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person.

(7) While holding an inquiry, the adjudicating officer shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the matter to give evidence or to produce any document which, in the opinion of the Adjudicating Officer, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

Explanation: For the purpose of this sub-rule, the Adjudicating officer shall have the following powers of a civil court, as specified in the Civil Procedure Code, 1908:

(a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath

(b) Requiring the discovery and production of documents or other electronic documents; and

(c) Receiving evidence on affidavits

(8) On presentation of matter by the concerned Presenting officer, defense given by the person and recording of such information as necessary, the Adjudicating Officer shall either dismiss the allegation or make such other order as it deems fit.

(9) All orders of the Adjudicating Officer shall be speaking orders, irrespective of whether penalty has been imposed by such order or not as prescribed in Form V.

(10) The Adjudicating Officer shall complete the adjudication of every matter within three months from the date fixed under sub-rule (4), which is extendable up to three more months if sufficient cause exists.

(11) If the subject-matter of the matter received under rule 14(1) is already in issue before the National Green Tribunal or any other Court of competent jurisdiction on the date of receipt of the matter, the proceedings under this Rule shall be initiated by the adjudicating officer in parallel and pass order as indicated in Rule 18 unless such proceedings have been explicitly been stayed by the National Green Tribunal or any other court.

16. Transfer of Matters and Proceedings- (1) If the matter is made to a Presenting Officer which does not have jurisdiction to entertain it as per sub-rule (3) of Rule 14, it shall transfer the matter to the concerned Presenting officer within fifteen days of the receipt of such matter, along with reasons of such belief in the prescribed Form VI.

(2) If on inquiry under Rule 15, it appears to the Adjudicating Officer at any stage of the proceedings before signing the final order, that the case is one which ought to be tried by any other Adjudicating Officer at the Central or the State-level, as the case may be, he shall transfer the case to such officer along with the copy of matter and a record of proceedings as prescribed in Form VII.

(3) The Adjudicating Officer to whom such case is transferred may, in his discretion, re-hear the entire case from its inception.

(4) If in the course of proceedings, it is found that the subject-matter of any proceedings is already adjudicated upon, the Adjudicating officer shall summarily dismiss the proceedings.

17. Manner of Service of Notice. – A notice under rule 15 shall be served on the person in the following manner: -

(1) by sending it to the person by registered post with acknowledgement due, to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works, or last worked, for gain; or

(2) by sending it to the registered email of the person, if available;

(3) where it cannot be served under clause (a) or wherever applicable, (b), every such Notice shall be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided, or carried on business or personally works or last worked for gain and the written report thereof shall be accompanied by the geo-tagged images of the notice.

18. Orders of the Adjudicating Officer. - (1) Every order passed by the adjudicating officer shall be dated and signed by the Adjudicating Officer in the prescribed Form V.

(2) The Adjudicating Officer shall send a copy of the order passed by him to the person in default, the Central Government, the concerned Presenting officer, the person lodging the matter and any other person which the Adjudicating Officer considers appropriate.

(3) Any order passed under this rule shall be subject to the outcome of any proceedings mentioned under sub-rule (11) of rule 15.

18A. Factors to be considered while determining Quantum of Penalty: (1) The Adjudicating officer, while adjudicating quantum of penalty, shall have due regard to the following factors, namely: -

(a) The population and the area impacted or affected by such contravention or default;

(b) The frequency and duration of such contravention or default or the repetitive nature of the default or contravention;

(c) The vulnerability of the class of persons likely to be adversely affected by such contravention or default;

(d) The amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention or default;

(e) Any other relevant factor as he thinks fit.

(2) The penalty / additional penalty, as imposed by the Adjudicating Officer under this Act, shall be in addition to the liability to pay relief or compensation under section 15 read with section 17 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010);

(3) For matters mentioned under sub-section (2), the penalty imposed by the Adjudicating Officer shall be in addition to, and not in substitution of such penalty or compensation.

(4) All sums realised by way of penalties under the Act shall be credited to the Environmental Relief Fund.

19. Appeals from the order of Adjudicating Officer: (1) All appeals from the order(s) passed by the Adjudicating Officer under the Act shall lie to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), as per Section 15B of the Act.

(2) If the person who has lodged the matter is aggrieved by the order of the Adjudicating Officer, he shall also follow the process under Section 15B of the Act, so far as it may be practicable.

20. Failure to pay penalty / additional penalty imposed by the Adjudicating Officer:

(1) In case of failure to pay penalty imposed under Section 17 of the Act within ninety days, such person shall be liable for imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to twice the amount of the penalty or with both. The Adjudicating Officer shall direct the concerned SPCB /PCC to initiate criminal proceedings against the person in the concerned District Court within thirty days after the lapse of ninety days as mentioned above. The concerned SPCB / PCC shall initiate the proceedings against the person in the concerned District Court within thirty days from the date of receipt of direction from Adjudicating Officer.

(2) In case of failure to pay penalty imposed under Section 14 and 15 of the Act within ninety days, the Adjudicating Officer shall impose Additional penalty. In case of failure to pay Additional penalty imposed under section 14 and section 15 of the Act within ninety days, such person / company shall be liable for imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to twice the amount of the penalty or with both. The Adjudicating Officer shall direct the concerned SPCB / PCC to initiate criminal proceedings against the person / company in the concerned District Court within thirty days after the lapse of ninety days as mentioned above. The concerned SPCB / PCC shall initiate the proceedings against the person/company in the concerned District Court within thirty days from the date of receipt of direction from Adjudicating Officer.

9. In the principal rules, for Form I, the following form shall be substituted, namely: -

FORM I

FORM OF APPLICATION FOR COMPENSATION

Date:

Mr/Ms/Mrs.* _____ Son of/ daughter of/ Widow* of Mr. _____ died/had sustained- injuries in an accident on _____ Other information are given below: -

1. **Applicant Information:**

i. Name of the Applicant:

ii. Father's name:

iii. Address:

iv. City: State: Zip:

v. Contact No.:

2. **Affected Party information:**

i. Name:

ii. Father’s Name:

iii. Sex of the person injured/dead/affected:

iv. Nature of injuries sustained:

v. Occupation of the person injured/dead:

vi. Relationship with applicant:

vii. Address:

viii. City: State: Zip:

3. **Details of Incident:**

i. Date of Incident:

ii. Time of Incident:

iii. Location of Incident:

iv. Type of Incident: (tick the following)

[ ] Damage to Private Property from an accident

[ ] Damage to Public Property from an accident

[ ] Death or Injury to any person (other than workman)

4. **Estimated Financial Loss (if applicable):**

5. **Description of Incident and Damage:**

_____

_____

_____

6. **List of Relevant Documents Attached:**

vi. Medical Certificate in case of Death, Injury or Disability

vii. Damage to property claimed

viii. Proof of employment & wages received in case of wage loss

ix. Any other documents

7. **Additional Information:**

i. Name and Address of Police Station in whose jurisdiction accident took place or was registered:

ii. Name and Address of the Medical Officer/Practitioner who attended on the injured/dead:

iii. Any other information that may be considered necessary or helpful in the disposal of the claim:

I hereby swear and affirm that all the facts noted above are true to the best of my knowledge and belief.

SIGNATURE OF THE APPLICANT/CLAIMANT

---

* Strike out whichever is not applicable

10. In the principal rules, after so amended Form 1, the following Form 1A shall be inserted, namely: -

FORM IA

FORM OF APPLICATION FOR ALLOCATION OF FUNDS FROM Environmental Relief Fund

Mr./Mrs./Miss _____ on behalf of Central Pollution Control Board / the State Pollution Control Board, [CPCB/SPCB], hereby submit an application for the allocation of funds from the Environmental Relief Fund (ERF) established under section 7A of the Public Liability Insurance Act, 1991. The details of the application are provided below:

1. Details:

i. Name of [CPCB/SPCB]: _____

ii. Address: _____

iii. Contact Person: _____

iv. Contact Number: _____

v. Email Address:_____

2. Purpose of Allocation:

_____

_____

_____

3. Assessed Environmental Impact: _____

4. Estimated Fund Requirement:

i. Total Estimated Fund Requirement: _____

ii. Breakdown of Fund Utilization: _____
_____

5. List of Relevant Documents Attached:

6. Additional information:

1. Name of the Unit/Units with detail of owner/owners: _____
2. Name of chemical manufactured/ handled by the unit/units causing accident: _____
3. Address and co-ordinates of the Site: _____
4. Place, date and time of Accident: _____
5. SPCB in whose Jurisdiction Environmental Damage took place or was registered: _____
6. Any other information: _____

I hereby declare that the information provided in this application is accurate to the best of my knowledge.

[Signature]

[Name]

[Designation]

[Organization Name]

11. In the principal rules, after Form II, the following Forms and Appendix-I shall be inserted, namely: -

FORM III: FORMAT OF NON-COMPLIANCE (OR) CONTRAVENTION OF THE PROVISIONS OF THE PLI ACT

(See Rule 14)

Part A

DETAILS TO BE FURNISHED BY THE PERSON LODGING THE NON-COMPLIANCE (OR) CONTRAVENTION OF THE PROVISIONS OF THE PLI ACT

1. Name of the Person lodging the non-compliance (In Block Letters):
2. Proof of Identity Furnished:

Note: Any of the following documents will be considered as a valid proof of identity:

Driving License, Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Government/Public Sector Undertaking/Public Limited Company, Passbook with photograph issued by a Bank/Post Office, PAN Card, Smart Card issued by Registrar General of India under National Population Register, MNREGA Job Card, Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour, Pension document with photograph, Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs, and masked Aadhaar Card.

3. Age
4. Gender
5. Nationality

Note: In case the person who has lodged the non-compliance is not a citizen of India, only a copy of the Passport will be accepted as a proof of identity

6. Permanent Address

House/Property Number: _____

Locality Village: _____

District: _____

City:_____

State: _____

Country: _____

Pin Code/Postal or Zonal Code: _____

7. Correspondence Address

House/Property Number: _____

Locality Village: _____

District: _____

City:_____

State: _____

Country: _____

Pin Code/Postal or Zonal Code: _____

8. Occupation/ Designation
9. Office Address
10. Telephone Number/Mobile Number:
11. Email Address:
12. Details of Person/Company/Government Department against whom non-compliance is made: _____ _____ _____
13. Mode of Presentation of non-compliance

___ In-Person

___ By Post

___ Online Portal

14. The relevant provisions of Act, rules, orders and directions the contravention of which is alleged: _____ _____
15. Particulars_____ of _____ non-compliance: _____ _____

Enclosures:

S. No.	Document	Whether enclosed (Yes/No)
1.	Identity Proof	
2.	Duly Notarised Affidavit (as indicated in Part B)	
3.	Supporting Documents (if any)	

Signature of the Person who has lodged the non-compliance/Authorized Signatory

Place:

Date:

Part B

UNDERTAKING

I _____ aged _____ years, S/o _____ Resident of _____do here by solemnly affirm and declare on oath as under-

1. That I am filing this non-compliance on my own behalf

OR

That I am filing this non-compliance on behalf of body/Board/ Corporation/ Authority/ Company/ society/trust/association of persons/Non-Governmental Organisation/ Limited Liability Partnership (give its name and registration number, if any) having their office at (give contact address/email/phone/fax of the organization) and that I am authorized to sign and make this non-compliance vide its authorisation dated _____.

2. That I have filed the present non-compliance under the provisions of the Public Liability Insurance Act, 1991 or its rules, orders and directions as amended from time to time.
3. That particulars of the non-compliance mentioned in Part A of this Form are true to the best of my knowledge, and I have enclosed all necessary documents.
4. I state that before filing this non-compliance I have collected the information and supporting evidence to the best of my knowledge, ability and capacity which are relevant in support of the allegations against _____ and I further confirm that I have not concealed any data / material / information in this non-compliance.

Solemnly affirmed at _____ on this day _____ of _____.

DEPONENT

FORM IV: NOTICE

See RULE 15 (1)

Part A

NOTICE TO THE RESPONDENT

To:

Name of the Addressee:

Address:

Contact Details:

1. TAKE NOTICE that a non-compliance is registered against you by the Presenting Officer at _____ under the provisions of _____ read with Public Liability Insurance Act, 1991, a copy of which has been attached with this Notice.

2. You are hereby called upon to appear before the Adjudicating Officer in person, or through an authorized representative, on _____ at _____ (Address).

3. Take further notice that, in default of your appearance on the day aforementioned, the matter will be heard and determined in your absence.

GIVEN under my hand and the seal, on this _____ day of _____.

Adjudicating Officer

Part B

NOTICE TO THE PRESENTING OFFICER

To

The Presenting Officer

_____
_____

1. TAKE NOTICE that the non-compliance registered and forwarded by you vide Letter/Memo No. _____ dated _____ shall be heard by the Adjudicating Officer on _____ at _____ (Address).

2. You (or) the authorized representative as per Appendix-I for taking cognizance of non-compliance (or) contravention of the provisions of the Act within their respective jurisdiction are required to attend the proceedings and present the case.

GIVEN under my hand and the seal, on this _____ day of _____.

Adjudicating Officer

FORM V: FORMAT OF ORDER UNDER RULE 15 (9)

See RULE 15 (9)

Non-compliance ID: _____

Dated: _____

Presenting Officer: _____

Respondent: _____

1. That, in the matter as indicated above, the parties appeared before the Adjudicating Officer on _____ at _____.

If the respondent admits to the non-compliance, the following paragraph 2 would be included:

2. Under sub-Rule (9) of Rule 15, the respondent has admitted to the non-compliance registered against him, and as such the following penalty is imposed on him, _____, which shall be deposited by him according to the timeline stipulated under law.

3. After hearing the parties and perusing documents and all other evidence as presented, the following order is made:

_____
_____
_____

If applicable:

4. For reasons as aforesaid, the following penalty is imposed on the respondent, _____, which shall be deposited by him according to the timeline stipulated under law.

5. In case of failure to pay the penalty or additional penalty, as required by the Public Liability Insurance Act, 1991, the respondent shall become liable under the provisions of Section 17B of the Act for further prosecution.

6. Non-compliance is disposed of in the aforementioned terms.

GIVEN under my hand and the seal, on this _____ day of _____.

Adjudicating Officer

FORM VI

FORMAT OF TRANSFER OF NON-COMPLIANCE BY PRESENTING OFFICER

SEE RULE 16 (1)

To

The Presenting Officer

(to whom non-compliance is to be transferred)

Non-compliance ID: _____

Dated: _____

Respondent: _____

1. Please find attached non-compliance received by the undersigned on _____.

2. On perusal of the non-compliance, it is found that the non-compliance falls within the regulatory jurisdiction of the Presenting Officer addressed above.

3. It is, therefore, requested to register this non-compliance, and take any further action that may be necessary.

Encl.

1. Copy of the non-compliance

2. Necessary documents (wherever applicable)

Authorized Representative of the Presenting Officer

(Name and Address)

(Signed, dated and stamped)

FORM VII

FORMAT OF TRANSFER OF PROCEEDINGS BY ADJUDICATING OFFICER

SEE RULE 16 (2)

To,

The Adjudicating Officer (Centre/State/UT) (to whom proceedings are to be transferred)

Non-compliance ID: _____

Dated: _____

Respondent: _____

1. The non-compliance as indicated above was brought before the undersigned on _____, and was being adjudicated.

2. During the course of proceedings, it has been found that the subject-matter of the non-compliance falls within your jurisdiction.

3. In view of the above, all case documents and a certified copy of record of proceedings are being duly transferred.

4. It is requested that further necessary action may be taken in the matter.

Encl.

1. Copy of the non-compliance

2. Certified Copy of record of proceedings

(wherever applicable)

GIVEN under my hand and the seal, on this _____ day of _____.

Adjudicating Officer

APPENDIX I

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	The Chairman or Member-Secretary of the Central Pollution Control Board or his authorised representative	Whole of India
2.	The Chairman or Member-Secretary of the State Pollution Control Board or his authorised representative	Whole of State
3.	District Collector having jurisdiction over the area or his authorised representative	Whole of District

12. In the Principal Rules, the following Schedule shall be inserted, namely: -

THE SCHEDULE

[See Rule 10(5) & (6)]

Reimbursement of medical expenses incurred up to a maximum of Rs. 1,50,000/- in each case.

i. For fatal accidents the relief will be Rs. 5,00,000/- per person in addition to reimbursement of medical expenses if any, incurred on the victim up to a maximum of Rs. 1,50,000/-

ii. For permanent total or permanent partial disability or other injury or sickness, the relief will be

a. reimbursement of medical expenses incurred, if any, up to a maximum of Rs. 25,000/- in each case and

b. cash relief on the basis of percentage of disablement as certified by an authorized physician. The relief for total permanent disability will be Rs. 5,00,000/-.

iii. For loss of wages due to temporary partial disability which reduces the earning capacity of the victim, there will be a fixed monthly relief not exceeding Rs. 25,000/- per month up to a maximum of 3 months: Provided the victim has been hospitalized for a period exceeding 3 days and is above 16 years of age.

iv. Up to Rs. 50,00,000/- depending on the actual damage, for public/private property in each case.

v. Reimbursement of amount Up to Rs. 25,000/- for losses or damages resulting from injury, sickness or disease.

[F. No. HSM-12/96/2020-HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India vide notification S.O. 330 (E) dated 1st May 1991 and amended subsequently by notification no. G.S.R. 596 (E) dated 20th September 1991, notification no. G.S.R. 87(E) dated 6th February,1992 and notification G.S.R. 391 (E) dated 23rd April 1993.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.